

56

180

II/निम्न/2018/0324

न्यायालय श्रीमान् सदैस्य महोदय म0प्र0 राजस्व मण्डल  
ग्वालियर सर्किट कोर्ट रीवा म0प्र0



- 1- रावेन्द्र सिंह तनय स्व0 श्री रघुनाथ सिंह, निवासी ग्राम अजगरहा तह0 हुजूर, जिला रीवा म0प्र0
- 2- यादवेन्द्र सिंह तनय स्व0 श्री रघुनाथ सिंह, निवासी ग्राम उमरिहा, तह0 हुजूर, जिला रीवा म0प्र0

अधि० श्री जितेन्द्र तिवारी  
दाय पक्षा | 10.01.18

निगरानीकर्तागण/आवेदकगण  
बनाम

Am

छत्रपाल सिंह तनय स्व0 श्री जगदेव सिंह, निवासी ग्राम उमरिहा, तह0 हुजूर, जिला रीवा म0प्र0

कलफे अफफे कांटे  
म० प्र० ग्वालियर  
राजस्व मण्डली रीवा

गैरनिगरानीकर्ता/अनावेदक

निगरानी विरुद्ध आदेश दिनांक 30.11.2017  
बावत् प्रकरण कमांक 57/अ-27/16-17  
नायब तहसीलदार वृत्त बनकुईर्यो तह0 हुजूर, जिला रीवा म0प्र0

अंतर्गत धारा 50(1)म0प्र0भू-रा0संहिता 1959

महोदय

प्रकरण के तथ्य :-

यह कि अनावेदक छत्रपाल द्वारा आराजी नं0 20/2 रकवा 0.162हे स्थित ग्राम बरा-395, प.ह. इटहा, तह0 हुजूर, जिला रीवा के बटवारा नामांतरण हेतु आवेदन अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष दिया गया जबकि अनावेदक छत्रपाल सिंह आवेदित भूमि में सह खातेदार नहीं है और न ही

रावेन्द्र सिंह  
यादवेन्द्र सिंह


(56)


राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ-अ

प्रकरण क्रमांक.....II/निग/श्री/113/0324.....जिला श्रीवा

.....शिवेन्द्र सिंह व अन्य विरुद्ध दामपाल सिंह.....

1	2	3
15-1-17	<p>1. आवेदक की ओर से श्री <u>जितेन्द्र तिवारी</u> अधिवक्ता द्वारा यह निगरानी तहसीलदार/ नायब तहसीलदार तहसील <u>इश्ट</u> के प्रकरण क्रमांक <u>57/अ. 27/16-17</u> में पारित आदेश दिनांक <u>30-11-17</u> के विरुद्ध प्रस्तुत की गयी है। म0प्र0 भू-राजस्व संहिता में दिनांक 25.09.2018 को हुये संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत सुनवाई हेतु प्रकरण कलेक्टर <u>श्रीवा</u> के न्यायालय को अंतरित किया जाता है। उभयपक्ष दिनांक <u>25-3-19</u> को कलेक्टर <u>श्रीवा</u> के न्यायालय में सुनवाई हेतु उपस्थित हो।</p> <p style="text-align: center;"> सदस्य</p>	

 शिवेन्द्र सिंह  
यादवेन्द्र सिंह